**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोटः- थाना किरतपुर** **दिनांक 23.07.2025**

## थाना किरतपुर पुलिस द्वारा गुमशुदा 14 वर्षीय बच्चें को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपूर्द किये जाने संबंधी।

**संक्षिप्त विवरणः-**

आज दिनांक 23.07.2025 वादी श्री सरफराज पुत्र हबीब निवासी ग्राम भोजपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि उसका पुत्र अरशद (उम्र 14 वर्ष) घर से मोटर साईकिल रिपेयरिंग की दुकान पर कार्य सीखने हेतु गया था, लेकिन देर रात तक भी घर नही पहुँचा तथा काफी तलाश करने के बाद भी नही मिला।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 200/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त बच्चे की तलाश एंवं शीघ्र बरामदगी हेतु टीम गठित की गई।

**कार्यवाहीः-**

थाना किरतपुर पुलिस टीम द्वारा किये गये सतत प्रयासों के फलस्वरूप आज दिनांक 23.07.2025 को अरशद उपरोक्त को कुशलतापूर्वक बरामद कर लिया गया। बरामदगी के पश्चात बच्चे को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

**बरामद करने वाली पुलिस टीम :-**

1.थाना प्रभारी वीरेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री कुलदीप शर्मा ,थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

3.हे0का0 215 विजयपाल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

**प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर          दिनांकः- 23.07.2025**

**"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पीडिता से गाली-गलौंच व मारपीट करने वाले 02 अभियुक्तों को 04 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।**

**कार्यवाहीः–**

अवगत कराना है कि वादिया द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी थी कि अभियुक्तगण 1.घसीटा पुत्र श्यामा 2.राजवीर पुत्र घसीटा 3.जगदीश पुत्र बलराम व 4.बलराम पुत्र तुलसी द्वारा वादिया के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 39/18 धारा 308/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 23.07.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल जज ई0सी0 एक्ट,बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 39/18 धारा 38/34/323/504 भादवि के 02 अभियुक्तों राजवीर पुत्र घसीटा व जगदीश पुत्र बलराम निवासी उपरोक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-**

1- राजवीर पुत्र घसीटा निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2- जगदीश पुत्र बलराम निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोटः- थाना चांदपुर** **दिनांक 23.07.2025**

**थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 288/2025 धारा 352/351(3)/108 बीएनएस व 66 ई आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार व बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया।**

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 20.05.2025 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण नितिन पुत्र सतवीर नि0 गण ग्राम नारनौर थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर व एक बाल अपचारी अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री के फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए व वादी को गाली गलौच करना कर जान से मारने की दी, जिस कारण वादी की पुत्री ने आत्महत्या कर ली। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 288/2025 धारा 352/351(3)/108 बीएनएस व 66 ई आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाहीः-**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नितिन पुत्र सतवीर निवासी नारनौर थाना चादंपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

नितिन पुत्र सतवीर निवासी नारनौर थाना चादंपुर जनपद बिजनौर।

**बाल अपचारी का नाम व पताः-**

एक बाल अपचारी

**आपराधिक इतिहास नितिन उपरोक्तः-**

1.मु0अ0स0 288/25 धारा 352/351(3)/108 बीएनएस व 66E IT ACT थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
2.मु0अ0स0 130/25 धारा 115(2)/127(2)/351(3) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0स0 252/25 धारा 115(2)/352/110 बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0स0 528/19 धारा 147/148/149/323/504/506 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5.मु0अ0स0 686/22 धारा 323/504/352 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1.उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2.का0 1604 अमित कुमार शर्मा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3.का0 2341 मौ0 सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4.का0 1191 आकाश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट– थाना मण्डावर** **दिनॉक 23.07.2025**

**थाना मण्डावर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 154/25 धारा 353(2)/115(2)/352/351(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण–**

दिनांक 23.07.2025 को थाना मंडावर क्षेत्र के ग्राम दयालवाला के रास्ते पर हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कांवड़िये अभिषेक पुत्र रामशरण एवं विकसित पुत्र लाखन, निवासी ग्राम सीमला कला थाना मंडावर, जब ग्राम तितरवाला स्थित मंदिर पर जल चढ़ाने जा रहे थे तो रास्ते में बिट्टू उर्फ राजकुमार पुत्र कैलाश सिंह, निवासी ग्राम दयालवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर द्वारा अभिषेक को तेज बाइक चलाने को टोकने को लेकर विवाद हो गया। जांच में यह तथ्य संज्ञान में आये है कि बिट्टु पक्ष जो मूढी बनाने का कार्य करता है, जिसमें प्रयोग होने वाली रस्सी को रास्ते में फैलाये रखता है, जिस रास्ते से अभिषेक पक्ष का बुग्गी लेकर आना जाना रहता है । इसी बात को लेकर दोनो पक्षों में पूर्व में भी कहासुनी हुई थी। इस संबंध में वादी विकसित पुत्र लाखन की तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 154/25 धारा 353(2)/115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही–**

आज दिनांक 23.07.2025 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त राजकुमार उर्फ बिट्टू पुत्र कैलाश सिंह निवासी ग्राम दयालवाला थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–**

1. राजकुमार उर्फ बिट्टू पुत्र कैलाश सिंह निवासी ग्राम दयालवाला थाना मण्डावर बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1.उ0नि0 श्री कुलवीर सिंह थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी 2334 भूषण थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।